संख्याःग्रा०वि०–एफ(4)–2 / 2024
ग्रामीण विकास विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित :

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त मंडलाधिकारी उपायुक्त , हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त जिला विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त खंड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

दिनांकः शिमला –171002 **12.01.2026**

विषयः **दिनांक 19 मार्च, 2025 के पत्र में संशोधनः प्रदेश Below Poverty Line में बी0पी0एल0 परिवारों के चयन हेतू समावेशन एंव बहिष्करण मानदंडों का उदारीकरण।**

महोदय,

इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ग्रा0वि0एफ (4)–2 / 2024 तथा पत्र संख्याः आरडी–एफ (4)–222024 दिंनाक 15.12.2025 के कम को जारी रखते हुए प्रदेश में Below Poverty Line (BPL) परिवारों की पहचान, चयन, समावेशन, बहिष्करण, सत्यापन एवं अपील की प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा BPL परिवारों के चयन की प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप में संपन्न किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण (Phase-1) पूर्ण किया जा चुका है और प्रथम चरण की अंतिम सूचियाँ खंड स्तरीय समिति द्वारा अधिसूचित की जा चुकी हैं।

अब उपर्युक्त अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, यह अधिसूचित करते हैं कि BPL सर्वेक्षण के द्वितीय चरण (Phase-2) एवं तृतीय चरण (Phase-3) के लिए समावेशन एवं बहिष्करण मानदंडों में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात् :

(1) ऐसे परिवार, जो अधिसूचना दिनांक 19-03-2025 के पैरा 1(क)(i) से (v) के अंतर्गत वर्णित “चयन/समावेशन हेतु मानदंडों” में से किसी भी समावेशन मानदंड को पूर्ण करते हों, परंतु केवल *पक्का मकान* होने के कारण चयन से वंचित कर दिए गए हों, उन्हें अधिसूचना दिनांक 19-03-2025 के पैरा 1 (ङ) केअंतर्गत *पक्का मकान* से संबंधित बहिष्करण मानदंड (i) से छूट प्रदान की जाती है। अर्थात्, ऐसे परिवार जो पैरा 1(क) में वर्णित किसी भी समावेशन मानदंड को पूर्ण करते हों, उन्हें पक्का मकान होने के बावजूद चयन हेतु पात्र माना जाएगा तथा अधिसूचना संख्या आरडी-एफ(4)-2/2024, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के अनुसार, दिनांक 15 जनवरी, 2026 तक खंड स्तरीय समिति द्वारा ऐसे परिवारों को

पंचायत-वार अधिसूचित कर **"Below Poverty Line (BPL) परिवारों की द्वितीय चरण** (Phase-2) **सूची"** के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) Below Poverty Line (BPL) परिवारों की **तृतीय चरण (Phase-3) सूची** हेतु चयन प्रक्रिया के लिए अधिसूचना संख्या ग्रा०वि०-एफ(4)-2/2024, दिनांक 19 मार्च, 2025 के समावेशन मानदंड पैरा 1(क)(i) एवं (ii) को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है :—

"(i) ऐसे परिवार, जिनमें 27 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चे सदस्य हों, अथवा ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन सदस्य हों तथा 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी सक्षम (वयस्क) सदस्य न हो।

(ii) ऐसे परिवार, जिनमें महिला मुखिया हो तथा जिनमें 27 से 59 वर्ष की आयु के मध्य कोई भी सक्षम पुरुष सदस्य न हो, जिनमें विधवा/अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएँ सम्मिलित हों।"

उपरोक्त दोनों श्रेणियों के परिवारों को अधिसूचना दिनांक 19-03-2025 के पैरा 1(ड.) के अंतर्गत *पक्का मकान* से संबंधित बहिष्करण मानदंड (i) से छूट प्रदान की जाती है, परंतु पैरा 1(ड.) के अंतर्गत अन्य बहिष्करण मानदंड (ii) से (v) यथावत लागू रहेंगे।

उक्त उदारीकृत श्रेणियों के अंतर्गत प्रथम चरण (Phase-1) सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा तथा नवीन आवेदन भी दिनांक **25 जनवरी, 2026** तक स्वीकार किए जा सकेंगे। क्रमांक (1) में वर्णित प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत, अधिसूचना संख्या आरडी-एफ(4)-2/2024, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के अनुसार, दिनांक **31 जनवरी, 2026** तक खंड स्तरीय समिति द्वारा ऐसे परिवारों को पंचायत-वार अधिसूचित कर **"Below Poverty Line (BPL) परिवारों की तृतीय चरण (Phase-3) सूची"** के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि—

(i) प्रथम चरण (Phase-1) सर्वेक्षण के अंतर्गत की गई समस्त कार्यवाही, तैयार की गई सूचियाँ एवं लिए गए निर्णय पूर्णतः यथावत रहेंगे;

(ii) द्वितीय चरण (Phase-2) एवं तृतीय चरण (Phase-3) सर्वेक्षण के लिए उपर्युक्त संशोधित समावेशन/बहिष्करण मानदंडों के अतिरिक्त, सत्यापन, अनुमोदन, अपील, अभिलेख संधारण एवं समय-सीमा से संबंधित समस्त प्रक्रिया अधिसूचना दिनांक 19 मार्च, 2025 तथा अधिसूचना संख्या आरडी-एफ(4)-2/2024, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 में यथावर्णित प्रावधानों के अनुसार ही लागू रहेगी।

(सी0 पॉलरासु), भा0प्र0से0
सचिव (ग्रामीण विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या उपरोक्त दिनांक शिमला–2 **12.01.2026**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
3. निदेशक, ग्रामीण विकास उनके पत्र संख्या **एस.एम.जे–120/20/2012–13–(बड़.)0आर.डी.डी–IV** दिनांक 09.01.2026 के सन्दर्भ में प्रेषित है।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रचार व् प्रसार हेतु।
5. संरक्षक नास्ति।

(सुख राम ठाकुर)
अवर सचिव (ग्रामीण विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

*****